हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1/09/2020.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2020 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 7–क का संशोधन।

———————

2020 का विधेयक संख्यांक 14

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ञ–ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

''(ञ–ङ) किसी नए यान के सम्बन्ध में ''मोटरयान की कीमत'' से, फैक्टरी रेट पर लागू करों से पूर्व यान की एक्स–फैक्टरी कीमत अभिप्रेत है।''।

3. **धारा 3 का संशोधन.**––(1) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(2) राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिल/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम , 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप–धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करवाते समय ऐसे मोटर साइकिलों/स्कूटरों, व्यक्तिगत यानों, प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों की कीमत के आधार पर, उनकी कीमत के कम से कम छह प्रतिशत और अधिक से अधिक पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, यान के क्रय की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए ऐसी दर से कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पर कर उद्गृहीत्, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा,–

(क) मोटर कैबज या मैक्सी कैबज जो निजी मोटर यानों के रूप में संपरिवर्तित किए जाने हेतु अनुज्ञात हैं; और

(ख) ऐसे मोटरयान जो प्रारम्भ में किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत हैं, किन्तु स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य को लाए जा रहे हैं, को प्रथम बार यहां रजिस्ट्रीकृत किया जाना है; और

(ग) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों और जो ऐसे मोटरयानों पर पंद्रह वर्ष की अतिशेष अवधि के लिए ऐसी दर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे मोटरयान की कीमत के अधिकतम पंद्रह प्रतिशत के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर कर संदत्त करते हुए, मोटरयान की मूल कीमत से आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष अवक्षयण कटौती के पश्चात् कराधान प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाना है, परन्तुः–

(i) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपए तक है, निम्नतम कीमत पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी, या

(ii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, किन्तु पांच लाख पचास हजार रुपए से अनधिक है, निम्नतम कीमत एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(iii) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पांच लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, किन्तु दस लाख पचास हजार रुपए से अनधिक है, निम्नतम कीमत दो लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(iv) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत दस लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत चार लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(v) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत बीस लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत आठ लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(vi) ऐसे मोटरयानों की दशा में, जिनकी मूल कीमत पचास लाख रुपए से अधिक है, निम्नतम कीमत बीस लाख रुपए से कम नहीं होगी, या

(vii) दुपहिया वाहनों की दशा में, निम्नतम कीमत पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी।

(4) उप–धारा (2) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों पर, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप–धारा (10) के अधीन ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किन्तु ऐसी मोटर साइकिलों/स्कूटरों, निजी मोटर यानों, प्राइवेट सेवा मोटर कैबज या विनिर्माण उपस्कर यानों के प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय संदत्त कर से अनधिक कोई कर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।''।

4. **धारा 7–क का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 7–क की उप–धारा (6) में, ''छमाही किश्तों'' और ''25 प्रतिशत'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''नियमित देय कर सहित चतुर्मासिक किश्तों'' और ''पचपन प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनयम संख्यांक 4) हिमाचल प्रदेश राज्य में मोटरयानों पर कर अधिरोपित करने और उससे सम्बद्ध अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। तदनन्तर, तथापि यह पाया गया है कि देश में विभिन्न राज्य मोटरयानों पर भिन्न–भिन्न दरों पर कर का उदग्रहण कर रहे हैं। परिवहन विभाग परिषद् की 34वीं बैठक में, देश में पथ परिवहन प्रणाली को परेशानी रहित बनाने और यानों के सरल संचलन को सुकर बनाने हेतु सम्पूर्ण देश में मोटरयान करों को समान दर पर युक्तिसंगत करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए कराधान दरों में एकरूपता लाने के आशय से अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं। वर्तमानतः विनिर्माण उपस्कर यान और प्राइवेट सर्विस मोटर कैबज वार्षिक आधार पर कर का संदाय कर रहे हैं जिससे करों के अपवंचन को बढ़ावा मिल रहा है।

अतः ऐसी रीति, जैसी प्राइवेट यानों के सम्बंध में अधिरोपित की जा रही है, में एकमुश्त कर के उदग्रहण की आवश्यकता है। पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन कर व्यवस्था के बेहतर प्रबन्धन और उन्हें देश में अन्य राज्यों के अनुरूप लाने के अतिरिक्त करों के अपवंचन को रोकने में सुकर बनाएंगे।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख.....................2020

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 3.
4. Amendment of Section 7-A.

Bill No. 14 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (4 of 1973) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clause (J-e), the following shall be substituted, namely:—

"(J-e) "Price of motor vehicle" in relation to a new vehicle means the ex-factory price of vehicle at the factory gate before applicable taxes.".

3. Amendment of Section 3.—(1) In Section (3), of the principal Act, for sub-sections (2), (3) and (4), the following shall be substituted, namely:—

"(2) There shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for a period of fifteen years from the date of purchase of vehicle at the time of registration under sub-section (3) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, on the basis of the price of such motor cycle/scooters, personal vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, subject to the minimum of six percent and maximum of fifteen percent of the price thereof.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on,—

(a) motor cabs or maxi cabs which are allowed to be converted as personal motor vehicles;

(b) motor vehicles initially registered in any other State but being moved permanently to the State of Himachal Pradesh to be registered here for the first time; and

(c) Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles already registered and paying tax on an annual basis for the remaining period of fifteen years, at the rates, as may be specified by the State Government, by notification, subject to maximum fifteen percent of the price of such motor vehicles to be determined by the taxation authority after deducting eight percent depreciation per annum from the original price of the motor vehicle provided that:—

(i) in the case of motor vehicles having original price up to two lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than fifty thousand rupees, or

(ii) in the case of motor vehicles having original price more than two lakh fifty thousand rupees but not exceeding five lakh fifty thousand rupees, the floor price shall not be less than one lakh rupees, or

(iii) in the case of motor vehicles having original price more than five lakh fifty thousand rupees but not exceeding ten lakh rupees, the floor price shall not be less than two lakh rupees, or

(iv) in the case of motor vehicles, having original price more than ten lakh rupees, the floor price shall not be less than four lakh rupees, or

(v) in the case of motor vehicles, having original price more than twenty lakh rupees, the floor price shall not be less than eight lakh rupees, or

(vi) in the case of motor vehicles, having original price more than fifty lakh rupees, the floor prices shall not be less than twenty lakh rupees, or

(vii) in the case of two wheelers, the floor price shall not be less than five thousand rupees.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (3), there shall be levied, charged and paid to the State Government, a tax on motor cycles/ scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles, used or kept for use in the State for every further period of five years from the date of their renewal of certificate of registration under sub-section (10) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) at the rates as may be specified by the State Government, by notification, but not exceeding to the tax paid at the time of first registration of such motor cycles/scooters, personal motor vehicles, Private Service Motor Cabs or Construction equipment vehicles.".

4. Amendment of Section 7-A.—In Section 7-A of the principal Act, in sub-section (6), for the words "six monthly instalments" and "twenty five percent", the words "four monthly instalments alongwith regular tax due" and "fifty five percent" shall be substituted respectively.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973) was enacted to impose tax on Motor Vehicles in the State of Himachal Pradesh and for other matters connected therewith. Of late it, has, however, been noticed that different States in the Country have been levying tax on different rates on the Motor Vehicles. In the 34th meeting of the Transport Department Council, it was decided to rationalise the motor vehicle taxes at uniform rates all over the Country to make the road transport system hassle free and to facilitate easy movement of vehicles in the Country. Therefore, in order to bring the uniformity in the taxation rates, some amendments are required to be carried out in the Act. Presently, the construction equipment vehicles and the private service motor cabs have been paying taxes on annual basis which is leading to evasion of taxes.

Therefore, there is a need to levy one time tax in the manner as is being imposed in respect of the private vehicles. The proposed amendments in the Act *ibid.* will facilitate better management of tax regime and avoid evasion of taxes in addition to making them uniform with other States in the Country.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH)
Minister-in-charge.

SHIMLA :

The.....................2020